न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

– 82 / 2024

न : –

1. अविनकुमार पुत्र मदनलाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल जाति यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हरफुलसिंह जाति यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।
2. संजोगता यादव पुत्री मदनलाल यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. कौशल्या पत्नी मदनलाल जाति यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गौस्वामी वादीगण
श्री संजय गौस्वामी प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 76/62 की 6.478है0 तथा चक 6 बारानी के खाता सं0 108/92 की 1.771है0 एवं चक 1 बीएचडी के खाता सं0 76/69 की 3.239है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1–2 तथा 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अविनकुमा[illegible] द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें वर्तमान जमांबदी चक 2 एम[illegible] 6 बारानी एंव चक 1 बीएचडी तथा जमाबंदी पैतृक एवं वारि[illegible]

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible] निवेदन किया वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का [illegible] से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.07.25 16:58:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 76/62 की 6.478है0 तथा चक 6 बारानी के खाता सं0 108/92 की 1.771है0 एवं चक 1 बीएचडी के खाता सं0 76/69 की 3.239है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त वाद भूमि पैतृक जमाबंदी से दादालाई कृषि भूमि साबित है जिसमें वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र से प्रतिवादीगण सं0 1 मदनलाल के वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 मदनलाल के नाम रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 91/81 की 2.202है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1–2 तथा 4 ने अपना संपूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उपरोक्त विवेचानुसार एवं मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 76/62 की 6.478है0 तथा चक 6 बारानी के खाता सं0 108/92 की 1.771है0 एवं चक 1 बीएचडी के खाता सं0 76/69 की 3.239है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है **उपरोक्त तीनों खातों से प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल का नाम कलमजद किया जाकर वादी सं0 1 अविन कुमार तथा वादी सं0 2 सन्तोष कुमार को बहिस्सा बराबर [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** राजीनामा को निर्णय का भाग पढ़ा [illegible] दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता को राजस्व रिकार्ड में यथावत् रखा जावें। तथा यदि [illegible] भूमि [illegible] है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-07-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-07-24
(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.07.25 16:58:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मु0न0 – 82 / 2024

उनवान : –

1. अविनकुमार पुत्र मदनलाल जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा ।
2. सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल जाति यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हरफुलसिंह जाति यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।
2. संजोगता यादव पुत्री मदनलाल यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. कौशल्या पत्नी मदनलाल जाति यादव निवासी भोजासर त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ प्रकाश चंदेलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गौस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री संजय गौस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 76 / 62 की 6.478है0 तथा चक 6 ब[illegible]नी के खाता सं0 108 / 92 की 1.771है0 एवं चक 1 बीएचडी के खाता सं0 76 / 6[illegible] की [illegible]239है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है **उपरोक्त तीनों ख[illegible] से प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 अविन कुमार [illegible] 2 सन्तोष कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित** [illegible] राजीनामा को निर्णय का भाग पढ़ा जावें एवं पूर्व में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता को [illegible] रिकार्ड में यथावत , रखा जावें। तथा यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के [illegible] उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कि[illegible] जा[illegible] उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-07-24 ...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23-07-24

(ओ.पी.चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.07.25 16:58:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner